

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी दिलीप सिंह पूर्व से अनुपस्थित।
प्रकरण आज आरोपी दिलीप सिंह की उपस्थिति हेतु
नियत है।

आरोपी दिलीप सिंह की उपस्थिति के लिए जारी
गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील फरारी पंचनामा सहित इस टीप
के साथ वापस प्राप्त कि “आरोपी को तलाश किया, नहीं मिला,
फरार चल रहा है”।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
आरोपी दिलीप सिंह दिनांक : 07/03/17 से निरन्तर
अनुपस्थित है। गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप एवं फरारी
पंचनामा के तथ्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह
विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी दिलीप सिंह
फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे है, जिससे ऐसे
गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। जिससे यह
दर्शित होता है कि आरोपी दिलीप सिंह अपनी उपस्थिति छुपाने
के लिए फरार हो गया है और उसके निकट भविष्य में मिलने
की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी
दिलीप सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई
वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी दिलीप सिंह की उपस्थिति के स्थाई
वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी दिलीप सिंह के उपस्थित होने तक
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण
व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया
जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये
कि प्रकरण में आरोपी दिलीप सिंह फरार है, इसलिए अभिलेख
सुरक्षित रखा जाये।